न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 122 / 2020

प्रार्थीगण :
1. किरताराम पुत्र रमजीराम
2. दूर्गाराम पुत्र गूदडराम
3. रामनिवास पुत्र रमजीराम
जातियान जाट निवासीगण
बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :
1. राज्य सरकार जरीये
तहसीलदार, पीपाड़
शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री मधुसुदन चौधरी प्रार्थीगण की ओर से
तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 26.02.2021

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम ग्राम बोरून्दा की राजस्व सीमा मे प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नं. 44 रकबा 1.1083 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थु आयी हुई है। सबूत मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक मय नक्शा के संलग्न पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन गै.मु. कटाणी रास्ता के मध्य खसरा नं. 16 / 18 गै. मु. मगरा की जमीन आयी हुई है। प्रार्थीगण गै.मु. कटाणी रास्ता खसरा नं. 16 / 17 से अप्रार्थी राज्य सरकार के अधीन खसरा नं. 16 / 18 मे से पश्चिमी सीमा से होकर संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शाये मार्क ए,बी,सी,डी लालस्याही से दर्शाये रास्ता से होकर अपनी भूमि ख.नं. 44 मे आते जाते है जो कटाणी रास्ता से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक सबसे निकटतम व सुलभ रास्ता है जिस रास्ता को वादग्रस्त रास्ता से सम्बोधित किया जायेगा। संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंग माना जावे।प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 44 मे आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नही है तथा प्रार्थीगण कटाणी रास्ता से ख. नं. 16 / 18 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे होकर अपने खेतो मे आते जाते है। राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के खेत तक आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नही है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का ख.नं. 44 मे आने जाने कटाणी रास्ता ख.नं. 16 / 17 से गै.मु. मगरा कीजमीन ख.नं. 16 / 18 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे रास्ता घोषित करने हेतु अप्रर्थी से निवेदन किया लेकिन दिनांक 17.02.2020 को अप्रार्थी ने ख.नं.

16/18 मे से लालस्याही से दर्शाये मार्क ए,बी,सी,डी रास्ता घोषित करने से साफ इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता घोषित करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र बाबत वादग्रस्त रास्ता घोषित कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने हेतु प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन ख.नं. 44 मे गै. मु. कटाणी रास्ता ख.नं. 16/17 से वादग्रस्त रास्ता मार्क एबीसीडी सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नही है। प्रार्थी वादग्रस्त रास्ता को रास्ता घोषित करने हेतु नियमानुसार डीएलसी दर से रकम जमा करवाने को तैयार है। इसलिए गै.मु. कटाणी रास्ता ख.नं. 16/17 से अप्रार्थी की भूमि ख.नं. 16/18 मे से लालस्याही से दर्शाये मार्क एबीसीडी प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 44 तक रास्ता घोषित फरमाया जावे तथा रास्ता की चौडाई 20 फुट रखी जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद कर तरमीम किया जाने का आदेश फरमावे। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बोरून्दा की राजस्व सीमा मे स्थित होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम मालावास की राजस्व सीमा मे स्थित भूमि खसरा नं. 336 से गै.मु. कटाणी रास्ता तक अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 337 मे से दक्षिणी माठ के सहारे सहारे वादग्रस्त रास्ता मार्क ए,बी,सी,डी को 30 फुट चौडा रास्ता घोषित किया जाने का आदेश फरमावे। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक मे अता फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम बोरून्दा के खसरा नम्बर 44 रकबा 1.1083 हैक्टयर में आने जाने हेतु खसरानम्बर 16 गै.मु.मगरा जो राजकीय सिवायचक भूमि है को रास्ता घोषित किया जाना उचित है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 27.12.2020 का अवलोकन करने पर पाया कि अब प्रार्थी के खेत ग्राम बोरून्दा खसरा नम्बर 44 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 16 किस्म गै.मु.मगरा में आने जाने हेतु मार्क ए बी सी डी 0.09 बीघा अर्थात 0.0728 हैक्टयर भूमि दिया जाना प्रस्तावित है ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

अतः राजस्व ग्राम बोरून्दा के खसरा नम्बर 44 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 16 में से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 27.12.2020 लाल स्याही से दर्शाये मार्क ए बी सी डी कुल क्षैत्रफल 0.09 बीघा अर्थात 0.0728 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी मालियत राशि रूपये 110086/— रूपये प्रति हैक्टयर बनती है । जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 16030 रूपये बनती है । प्रार्थी राशि 16030/— रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी/राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष अप्रार्थी को अदा करने हेतु जमा करावें ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 16030/— रूपये का चैक/डी.डी. प्राप्त कर अप्रार्थीगण/राजकोष को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें । इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 27.12.2020 व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर